


17.05.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक व दो अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या तीन के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री मुनवर हुसैन उपस्थित। अप्रार्थी संख्या चार की ओर से परोकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.03.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया। दोनों पक्षों की दिनांक 22.03.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या तीन के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री मुनवर हुसैन ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन के विरुद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या तीन की मृत्यु हो चुकी है। अतः प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लेने हेतु आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार की मृत्यु होने पर प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या तीन की मृत्यु प्रकरण को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ही हो चुकी थी। अतः प्रार्थी द्वारा पट्टाधारक के कायम मुकाम को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा पट्टाधारक के कायम मुकाम को पक्षकार नहीं बनाया जाकर पट्टाधारक को पक्षकार बनाया है। अतः मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण चलने योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या तीन की वारिसान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन को खारिज किया जाना फरमावे।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा जो निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन के नाम से पट्टा विलेख जारी किया गया है, लेकिन मौके पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है एवं न ही किसी तरह का कोई निवास है, जिससे प्रार्थी निगरानीकर्ता को पट्टाधारक की मृत्यु होने की कोई जानकारी नहीं थी। इसी कारण से पट्टाधारक को पक्षकार बनाया गया एवं मृत्यु की जानकारी अप्रार्थी संख्या तीन के वारिसान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जानकारी में आया, जिस पर प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी होते ही उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी को निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के समय अप्रार्थी संख्या तीन की मृत्यु की कोई जानकारी नहीं थी एवं मृत्यु की बिना जानकारी के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा जानबूझकर मृत व्यक्ति के विरुद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या तीन के वारिसान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।


  
जिला कलेंक्टर, सिरोही

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या तीन को पक्षकार बनाया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या तीन की प्रकरण पेश करने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन के विधिक वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या तीन की मृत्यु होने की कोई जानकारी नहीं थी। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की नजीरे पेश की, जिसमें राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 434/2017 जगदेवसिंह बनाम रेशमसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2017 में प्रतिवादी जो वाद पेश करने की दिनांक को मृत थे, उनके विधिक वारिसानों को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था, यही प्रकरण संख्या 5383/2008 सरजीत कौर बनाम बाबूराम में भी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा माना गया है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या तीन के वारिसानों के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो परिपोषणीय नहीं है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की नजीरे पेश की, जिसमें राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 3647/2016 जगदीश बनाम नाथूसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2016 में यह माना है कि मृत व्यक्ति के खिलाफ दायर कोई भी मुकदमा अमान्य है और यदि कोई कार्यवाही शुरू से ही अमान्य है तो धारा 151 सी.पी.सी. के साथ पढ़े गए आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत एक आवेदन दायर करके इसे बचाया नहीं जा सकता। इसके अलावा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी सी.मुत्तु बनाम भारत मेच वर्क्स में यह माना है कि मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण परिपोषणीय नहीं है।

अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दोनों नजीरों का गहनता से अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दोनों ही नजीरों 434/2017 जगदेवसिंह बनाम रेशमसिंह व अन्य एवं प्रकरण संख्या 5383/2008 सरजीत कौर बनाम बाबूराम में एक से ज्यादा प्रतिवादी थे, जिनमें से कुछ ही प्रतिवादियों की मृत्यु हुई थी, जिससे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिवादी के विधिक वारिसानों को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था, परन्तु इस प्रकरण में केवल एक अप्रार्थी संख्या तीन ही मुख्य पक्षकार के रूप में है, जिसका पट्टा निरस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। प्रकरण में अन्य पक्षकार अप्रार्थी संख्या एक व दो सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत किवरली औपचारिक रूप से पक्षकार है। अतः इस प्रकरण की विषयवस्तु एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण 434/2017 जगदेवसिंह बनाम रेशमसिंह व अन्य एवं प्रकरण संख्या 5383/2008 सरजीत कौर बनाम बाबूराम

की विषयवस्तु अलग-अलग प्रतीत होती है। इसके विपरीत अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों में राजस्व मण्डल राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 3647/2016 जगदीश बनाम नाथूसिंह व अन्य में मृत व्यक्ति के खिलाफ दायर कोई भी मुकदमा को अमान्य माना है। साथ ही माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा भी सी.मुत्तु बनाम भारथ मेच वर्क्स में भी मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण परिपोषणीय नहीं माना है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या तीन की मृत्यु हो चुकी थी अतः प्रार्थी द्वारा मृत व्यक्ति के विरुद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्टया परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णयों एवं विधिक दृष्टांत सुधीर बनाम अमृत, 50 सीडब्ल्यूएन 801, सिसिर बनाम मनिन्द्र ए 1958 सी 681, परमेश्वर बनाम कृष्णा ए 1953 टी-सी473 आदि का सम्मान करते हुए अप्रार्थी संख्या तीन के वारिसानों की ओर से दिनांक 22.03.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थी को यह विकल्प दिया जाता है कि वे अप्रार्थी संख्या तीन के विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाकर नए सिरे से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(शुभम चौधरी)  
जिला कलक्टर, सिरौही